उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या : क0नि0–2–389/ग्यारह–9(295)/07–उ0प्र0अधि0–5–2008–
वैट नियमावली–08–आदेश–(66)– 2011

लखनऊ:: दिनांक :: 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रेदश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 5 सन् 2008) की धारा–79 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं,

चूँकि राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करनी आवश्यक हो गयी है अतएव राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा–79 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बिना पूर्व प्रकाशन के उपर्युक्त नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मूल्य संर्वधित कर **(तृतीय संशोधन)** नियमावली, 2011 कही जाएगी।
(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 12 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 12 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान स्पष्टीकरण	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण – जब तक कि कोई बात इन नियमों या किसी अन्य नियम के विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, बैक का तात्पर्य उसकी शाखाओं से भी है।	स्पष्टीकरण – (1) जब तक कि इस नियमावली के प्रयोजनार्थ कोई बात, विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, बैंक में उसकी शाखाएं भी सम्मिलित हैं। **(2) जहॉ किसी व्यक्ति के विरूद्ध कय या विकय अथवा दोनों के आवर्त पर संदेय कर, फीस, शास्ति, ब्याज, प्रशमन राशि अथवा किसी धनराशि का भुगतान इनपुट टैक्स केडिट का**

समायोजन करके किया जाता है वहां उसे अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को भुगतान किया जाना माना जायेगा।

नियम 22 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में, नियम 22 के उप नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम (5) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(5) किसी व्यवहारी द्वारा किसी परिमाण या माप में किसी माल का पुनर्विकय, कय मूल्य से कम मूल्य पर किये जाने के सम्बन्ध में रिवर्स इनपुट टैक्स केडिट की धनराशि कय मूल्य पर संदत्त अथवा संदेय कर तथा ऐसे माल के विकय मूल्य पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि के अन्तर के बराबर होगी।"

नियम 23 का संशोधन

4. उक्त नियमावली में, नियम 23 के उप नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम (6) बढा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(6) किसी परिमाण या माप में कय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित या प्रसंस्कृत किसी माल का लागत मूल्य से कम मूल्य पर पुनर्विकय किये जाने के सम्बन्ध में रिवर्स इनपुट टैक्स केडिट की धनराशि ऐसे माल के कय मूल्य पर संदत्त या संदेय कर तथा विकय किये गये विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल के विकय मूल्य पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि के अन्तर के बराबर होगी।"

नियम 32 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नियम 32 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (15) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप–नियम रख दिये जाएंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(15) समय समय पर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने व पंजीयन से संबधित अन्य मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबध में कमिश्नर निर्देश जारी कर सकता है।	**(15) (क) धारा 17 की उपधारा (5) के परन्तुक अधीन कोई प्रार्थना पत्र, परिसम्भागीय अपर कमिश्नर को प्रपत्र–इक्यावन में प्रस्तुत किया जायेगा** **(ख) खण्ड (क) के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थना पत्र की प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को तामील कराई जायेगी ओर कर निर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त रसीद की प्रमाणित प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।** **(ग) कर निर्धारक प्राधिकारी प्रार्थना पत्र के विवरणों की**

शुद्धता को सत्यापित करेगा तथा दो सप्ताह के भीतर परिसम्भागीय अपर कमिश्नर को रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(घ) यदि परिसम्भागीय अपर कमिश्नर का यह समाधान हो जाता है कि प्रार्थना पत्र अपूर्ण है अथवा उसमें मिथ्या विवरण अन्तर्विष्ट है तो वह आवेदक को त्रुटियों का पूर्ण विवरण प्रदान करते हुए और उससे उन्हें पूर्ण करने की अपेक्षा करते हुए कारण बताओ नोटिस तामील करायेगा।

(ङ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात परिसम्भागीय अपर कमिश्नर लिखित आदेश पारित करके प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर सकता है और तदनुसार आवेदक को सूचित कर सकता है।

(16) कमिश्नर आन लाइन प्रार्थना–पत्र भरने के लिए भी कार्यप्रणाली का समय समय पर अवधारण कर सकता है और पंजीकरण प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकिया तथा अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित अनुदेश जारी कर सकता है।

नियम 32क का संशोधन

6. उक्त नियमावली के नियम 32क में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–I विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) अधिनियम की धारा-26क के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु,	(1) अधिनियम की धारा 26क के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के

प्रत्येक आकस्मिक व्यवहारी फार्म 7क में पूर्ण रुपेण भरा हुआ एक प्रार्थना पत्र उस मंडल के जिसमें उसका कारबार स्थल स्थित है, पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।	प्रयोजनार्थ प्रत्येक आकस्मिक व्यवहारी प्रपत्र– सात–क में पूर्ण रुपेण भरा हुआ प्रार्थना पत्र उस मंडल के जिसमें उसका कारबार स्थल स्थित है, पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। **प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर आनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी अनुमति दे सकता है।**

नियम 40 का संशोधन

7. उक्त नियमावली के नियम 40 में,

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–I विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
1- धारा 21 की उपधारा (4) में संदर्भित ट्रांसपोर्ट मेमो फार्म-इक्कीस मे होगा और रिक्त फार्म पंजीकृत व्यवहारी को उसके करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे।	1- धारा 21 की उपधारा (4) में संदर्भित ट्रांसपोर्ट मेमो प्रपत्र-इक्कीस मे होगा और रिक्त प्रपत्र पंजीकृत व्यवहारी को उसके करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे **अथवा विभागीय वेब साईट से पंजीकृत व्यवहारी द्वारा डाउनलोड किये जायेगें**।
2- जो पंजीकृत व्यवहारी अपने प्रयोग हेतु रिक्त फार्म-इक्सीस चाहता है वह रिक्त फार्मों को जारी करने हेतु अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देगा।	2- जो पंजीकृत व्यवहारी अपने प्रयोग हेतु रिक्त प्रपत्र-इक्कीस की अपेक्षा करता है वह रिक्त प्रपत्रों को जारी करने हेतु अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देगा **अथवा विभागीय वेब साईट से प्रपत्र डाउनलोड कर सकता है।**

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–I विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
8- करनिर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त रिक्त फार्मो व अपने द्वारा प्रयुक्त फार्मों का लेखा व्यवहारी फार्म बाईस में रखेगा और फार्मो के अवशेष भाग को वह रोक रखेगा तथा ऐसे फार्मों के प्रयोग का ब्यौरा जब भी करनिर्धारक प्राधिकारी माँगेगा, देगा।	8- करनिर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त समस्त रिक्त प्रपत्रों **अथवा विभागीय वेब साईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्रों** व अपने द्वारा प्रयुक्त प्रपत्रों का लेखा, व्यवहारी प्रपत्र बाईस में रखेगा और उसके अवशेष भाग को वह प्रतिधारित रखेगा

तथा ऐसे प्रपत्रों के प्रयोग का ब्यौरा वह जब भी करनिर्धारक प्राधिकारी मॉग करेगा, उसे देगा।

(ग) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (11) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–I विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
11- उपनियम (4) के अन्तर्गत प्राप्त किया गया प्रत्येक फार्म पंजीकृत व्यवहारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा जायेगा वह ऐसे किसी फार्म के खोने, नष्ट होने या चोरी हो जाने तथा खोने, नष्ट होने या चोरी होने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से हुई हानि यदि कोई हो, के लिये व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगा।	11- उपनियम (4) के अधीन प्राप्त किया गया प्रत्येक प्रपत्र **अथवा विभागीय वेब साईट से डाउनलोड किया गया प्रपत्र** पंजीकृत व्यवहारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा जायेगा वह ऐसे किसी प्रपत्र के खोने, नष्ट होने या चोरी हो जाने तथा उसके खोने, नष्ट होने या चोरी होने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से हुई सरकारी राजस्व की हानि, यदि कोई हो, के लिये व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगा।

(घ) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (15) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–I विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
15- कोई पंजीकृत व्यवहारी अपने करनिर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त फार्मो जो उपनियम 13 के अन्तर्गत अप्रचलित व अवैध घोषित न किये गये हो, के अलावा अन्य कोई फार्म जारी नही करेगा।	15- कोई पंजीकृत व्यवहारी, अपने करनिर्धारक प्राधिकारी से प्राप्त प्रपत्रों **अथवा विभागीय सरकारी वेब साईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्रों**, जो उपनियम 13 के उपबन्धों के अधीन अप्रचलित व अवैध घोषित न किये गये हो, के सिवाय अन्य कोई प्रपत्र जारी नही करेगा।

(ङ) उपनियम (16) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम (17) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

17– " कमिश्नर को प्रपत्र इक्कीस को डाउनलोड करने की प्रकिया का अवधारण करने की शक्ति होगी।"

नियम 45 का संशोधन

8. उक्त नियमावली के नियम 45 में,–

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (12–क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(12–क) (क) इस नियम के अन्तर्गत प्रति सहित विभिन्न प्रकार के कर विवरणी रिटर्न, विभागीय वेबसाईट पर आन लाईन अथवा हार्ड कापी में दाखिल किये जा सकते हैं । प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यवहारी जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त (जैसा कि उपनियम एक में परिभाषित है) एक करोड़ अथवा ऐसी राशि जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाये, से अधिक होना सम्भावित है अथवा वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के पूर्व कर निर्धारण वर्ष में एक करोड़ रु0 से अधिक रहा हो विभागीय वेबसाईट पर रिटर्न आन लाईन जमा करेगा परन्तु अन्यथा परिस्थिति में कारणों को अभिलिखित करते हुए कमिश्नर रिटर्न को हार्ड कापी अथवा साफ्ट कापी में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश से अनुमति प्रदान कर सकता है।	(12–क) (क) इस नियम में विहित विभिन्न प्रकार के कर विवरणी विभागीय विभाग के शासकीय वेबसाईट पर आन लाईन अथवा हार्ड कापी में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यवहारी के मामले में जिनका उपनियम (1) में यथा निर्दिष्ट सकल आवर्त एक करोड़ रूपये अथवा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अवधारित धनराशि से कर निर्धारण वर्ष में अधिक होना सम्भावित हो अथवा पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में अधिक रहा हो, ऐसा व्यवहारी विभाग के शासकीय वेबसाईट पर रिटर्न आन लाईन जमा करेगा परन्तु किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों में लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से कमिश्नर सामान्य या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा रिटर्न को हार्ड कापी/अथवा साफ्ट कापी में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
(ख) विभागीय वेब साईट पर आन लाईन दाखिल किये गये रिटर्न व्यवहारी अथवा व्यक्ति द्वारा जैसा कि नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित है किये गये डिजीटल हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होना चाहिए जैसा कि सूचना प्रोद्योगिकी एक्ट 2000 के धारा 35 के उपबंधों में परिभाषित किया गया है। इसके विपरीत तथ्य होने पर यह माना जायेगा कि रिटर्न साफ्ट कापी में जमा है एवं व्यवहारी को निर्धारित अन्तिम तिथि के सात दिन के अन्दर रिटर्न की हार्ड कापी दाखिल करनी होगी।	(ख) विभाग के शासकीय वेब साईट पर आन लाईन प्रस्तुत की जा रही विवरणी का अधिप्रमाणन, नियम 32 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट व्यवहारी या व्यक्ति के डिजीटल हस्ताक्षर, जैसा कि सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 35 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, **अथवा किसी कर अवधि के विवरणी अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ कमिश्नर द्वारा यथा अवधारित अधिप्रमाणन के**
(ग) जिन मामलों में रिटर्न आन	

लाईन जमा किया गया हो, ऐसे मामलों में उपनियम (4) एवं उपनियम (12) के प्राविधानों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति रिटर्न दाखिल करने के सात दिन के अन्दर दाखिल की जायेगी।	**किसी अन्य रीति से अवश्य किया जाना चाहिए, के अनुसार हो,** जिसमें विफल होने पर इसे विवरणी की साफ्ट प्रति के रूप में माना जाएगा एवं व्यवहारी को विवरणी जमा करने के लिए विहित अन्तिम तिथि से सात दिन के भीतर उसकी हार्ड कापी दाखिल करनी होगी। (ग) उपनियम (4) और उपनियम (12) में निर्दिष्ट ट्रेजरी चालान की प्रति को विवरणी प्रस्तुत करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि विवरणी आन लाइन प्रस्तुत की गयी हो।

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (13) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(13) कर बीजक जमा करने के सम्बन्ध में कमिश्नर को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।	(13) **(क) जहां वार्षिक विवरणी के परीक्षण पर यह पाया जाता है कि विवरणी अपूर्ण अथवा गलत है या उसमें गलत विवरण अन्तर्विष्ट हैं अथवा शुद्ध कर का भुगतान अधिनियम एवं नियमावली के उपबन्धों के अनुसार नहीं किया गया है या उसमें अपेक्षित घोषणा पत्र अथवा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं वहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी व्यवहारी को पुनरीक्षित विवरणी नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने की नोटिस तामील करेगा।** **(ख) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पुनरीक्षित वार्षिक विवरणी पूर्ण एवं सही**

है तो वह वार्षिक विवरणी को स्वतः कर निर्धारण के लिए स्वीकार करेगा तथा तद्नुसार व्यवहारी को सूचित करेगा।

(ग) यदि व्यवहारी निर्धारित समय के भीतर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो करनिर्धारक प्राधिकारी धारा 28 के उपबन्धों के अनुसार कर निर्धारण की कार्यवाही करेगा।

(14) कमिश्नर को किसी विवरणी के अधिप्रमाणन की रीति अथवा किसी कर अवधि की विवरणी अथवा वार्षिक विवरणी को प्रसंस्कृत करने की प्रकिया का अवधारण करने और किसी कर अवधि की विवरणी अथवा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने की शक्ति होगी।

नियम 49 का संशोधन

9. उक्त नियमावली के नियम 49 में,–

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(3) धारा 34 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार कर की धनराशि की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति पांच रूपए प्रति फार्म की दर से शुल्क का भुगतान करने के पश्चात अपने अधिकार क्षेत्र के कर निर्धारक प्राधिकारी (व्यवहारी के मामले में जहां उसके मुख्य व्यापार स्थल पर अधिकारिता हो), से फार्म-इकतीस में रिक्त (Blank) प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।	(3) धारा 34 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार कर की धनराशि की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, पांच रूपए प्रति प्रपत्र की दर से शुल्क का भुगतान करने के पश्चात, कारबार स्थल पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारक प्राधिकारी (किसी व्यवहारी के मामले में जहां उसके **एक से अधिक कारबार स्थल हों, कर निर्धारण अधिकारी से जिसकी** मुख्य

कारबार स्थल पर अधिकारिता हो), से प्रपत्र-इकतीस में रिक्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है **अथवा विभाग के शासकीय वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।**

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(5) प्रत्येक व्यक्ति जो फार्म-इक्तीस में प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, फार्म-बत्तीस में बनाए गए रजिस्टर में ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों का लेखा रखेगा।	(5) प्रत्येक व्यक्ति जो प्रपत्र-इक्तीस, **जैसा कि उपनियम (3) मे उपबन्धित है,** में प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, प्रपत्र-बत्तीस में बनाए गए रजिस्टर में ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों का लेखा रखेगा।

(ग) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (14) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(14) उपनियम (11) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किए जाने पर सभी पंजीकृत व्यवहारी अपने पास उपलब्ध अप्रचलित एवं अवैध-घोषित किए गए सभी अप्रयुक्त फार्म, उस तारीख को या उसके पूर्व जिससे फार्म अप्रचलित या अवैध घोषित किए गए हो, सहायक कमिश्नर को सौंप देगा और बदले में ऐसे नए फार्म प्राप्त करेगा जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए हो : प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी को नए फार्म तब तक नही जारी किए जाएगे जब तक वह पूर्व में जारी किए गए फार्म का हिसाब नही दे देता और जब तक वह अवशेष फार्म, यदि कोई हो, सहायक कमिश्नर को वापस नही कर देता।	(14) जहॉ कोई अधिसूचना उपनियम (13) के अधीन जारी की जाती है वहॉ सभी पंजीकृत व्यवहारी अपने पास उपलब्ध अप्रचलित एवं अविधिमान्य घोषित किये गये सभी अप्रयुक्त प्रपत्र, उस तारीख को या उसके पूर्व जिससे प्रपत्र अप्रचलित या अविधिमान्य घोषित किए गए हो, **कर निर्धारक प्राधिकारी** को सौंप देगा और बदले में ऐसे नए प्रपत्र प्राप्त करेगा जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए हों : प्रतिबन्ध यह है कि व्यवहारी को नए प्रपत्र तब तक जारी नहीं किए जाएगे जब तक कि वह पूर्व में जारी किए गए प्रपत्रों का लेखा नही दे देता है और जब तक वह

अवशेष प्रपत्र, यदि कोई हो, **कर निर्धारक प्राधिकारी** को वापस नही कर देता है।

(घ) उपनियम (14) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम (15) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

(15) कमिश्नर के पास प्रपत्र 31 को डाउनलोड करने की प्रकिया को अवधारित करने की शक्ति होगी।

नियम 70 का संशोधन

10. उक्त नियमावली में, नियम 70 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) ऐसी ओद्योगिक इकाई जो धारा 42 के अन्तर्गत शुद्धदेय कर या अर्जित इन्पुट टैक्स कडिट या दोनो जैसा भी हो, के वापसी के लिये प्राधीकृत हो, नियम 32 के उपनियम (6) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म पैतालिस में कमिश्नर के समक्ष, हकदारी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, आवेदन कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी औद्योगिक इकाई, वापसी के रुप में, कर से छूट की सुविधा, कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोग्य स्टोर, पैट्रोल या डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक, जो माल के निर्माण अथवा निर्मित माल की पैकिंग में पैकिंग मैटेरियल के लिए प्रयुक्त होता है, कमिश्नर को नया अथवा संशोधित हकदारी प्रमाणपत्र हेतु, इस नियम के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर कर सकता है। अग्रेतर प्रतिबन्ध है कि हकदारी प्रमाणपत्र में अंकित या घोषित छूट की धनराशि या छूट की अवधि में किसी आदेश या सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी या छूट की शर्तो या प्रतिबन्धों के आधार पर परिवर्तन अथवा विचरण, होता है, जिस कर निर्धारण वर्ष में उक्त घटनाकम घटित होता है, के समाप्ति के 60 दिन के अन्दर अथवा इस नियम के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर जो भी पूर्ववर्ती हो, ऐसी	(1) ऐसी ओद्योगिक इकाई जो धारा 42 के अधीन यथास्थिति शुद्ध संदेय कर या अर्जित इन्पुट टैक्स केडिट या दोनों के प्रतिसंदाय के लिये हकदार हो, नियम 32 के उपनियम (6) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से भरे गये तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र पैतालिस में कमिश्नर के समक्ष, हकदारी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, **उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011 के प्रारम्भ होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर या छूट प्रमाण पत्र या पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्ति के दिनांक से 90 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो,** आवेदन कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोग्य स्टोर, पैट्रोल और डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक, जो माल के निर्माण अथवा निर्मित माल की पैकिंग में पैकिंग मैटेरियल के लिए प्रयुक्त होता है, के कय पर अर्जित इनपुट टैक्स केडिट के प्रतिसंदाय के लिए पात्र औद्योगिक इकाई कमिश्नर को

		औद्योगिक इकाई आवेदन कर सकती है।	नया अथवा संशोधित हकदारी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, इस नियम के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। अग्रेतर प्रतिबन्ध है कि जहॉ हकदारी प्रमाणपत्र में उल्लिखित या वर्णित छूट की धनराशि या माल की छूट की अवधि में किसी आदेश या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के निदेश के कारण या छूट की किसी शर्त के अनुपालन में या अन्यथा परिवर्तन होता है अथवा भिन्नता होती है वहॉ औद्योगिक इकाई कर निर्धारण वर्ष, जिसमें अपेक्षित संशोधन सहित ऐसी घटना घटित हुई हो, की समाप्ति के 60 दिन के भीतर अथवा इस नियम के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर जो भी पश्चातवर्ती हो, आवेदन कर सकती है। **यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि कमिश्नर का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई पर्याप्त कारण है जिससे व्यवहारी निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, तो वह आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर सकता है।**

नये प्रपत्र 51 का बढ़ाया जाना 11. उक्त नियमावली में, प्रपत्र 50 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

प्रपत्र–इक्यावन

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32 का उपनियम (15) देखें)

प्रपत्र–सात एवं आठ प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में क्षमा प्रार्थना पत्र

सेवा में,

परिसम्भागीय एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
....

महोदय,

सर्वश्री ....जिसका मुख्य कारबार स्थल ....में स्थित है जो वाणिज्य कर खण्ड/मण्डल .... की क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र/टिन धारक है।

कारबार के विवरण, जिसके सम्बन्ध में पंजीयन प्रमाणपत्र लागू हो, इस प्रमाण–पत्र से यथा संलग्न प्रपत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर–सात/सात–जी में संलग्न किये जा रहे हैं।

पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक मान्य था। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर प्रपत्र–सात एवं सातजी एवं प्रपत्र–आठ निम्न कारणों से विहित समय के अंतर्गत प्रस्तुत नही किये जा सके थेः–

....
....
....
....
....
....
....

दिनांक 01.01.2008 से प्रार्थना पत्र के दिनांक तक के कर अवधियों की कर विवरणी प्रस्तुत कर दी गई है और ब्याज सहित शुद्ध कर निम्नानुसार जमा करा दिया गया हैः–

कम संख्या	कर अवधि समाप्त होने का दिनांक	रसीद संख्या तथा दिनांक	शुद्ध देय कर की धनराशि	ब्याज की धनराशि	भुगतान की गई धनराशि की ट्रेजरी चालान संख्या तथा दिनांक
1	2	3	4	5	6

विलम्ब शुल्क का विवरण

विलम्ब की अवधि – दिनांक 01.4.2009 से ....(प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक तक)

विलम्ब शुल्क की धनराशि –

(क) दिसम्बर 2010 तक रु0 500 प्रतिमाह अथवा उसके भाग की दर से ....
(ख) दि0 01.01.2011 से रु0 1000 प्रतिमाह अथवा उसके भाग की दर से ....
(ग) शुल्क की कुल धनराशि ....
(घ) ट्रेजरी चालान संख्या .... तिथि .... बैंक एवं शाखा का नाम.....................................

प्रार्थना

उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण प्रार्थी निर्धारित समय के अंतर्गत प्रपत्र–सात एवं सातजी एवं प्रपत्र–आठ प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। अतएव आपसे अनुरोध है कि विलम्ब क्षमा प्रदान करें तथा पंजीयन प्राधिकारी को इस प्रार्थनापत्र को समय से प्रस्तुत किया हुआ मानने का निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति (स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि जैसा कि नियम–32 के उपनियम (6) में व्यवस्था है) .... एतद् द्वारा घोषणा करते हैं तथा प्रमाणित करते हैं कि दिये गये विवरण तथा ऑकड़ें, मेरे सर्वोच्च ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण हैं तथा कोई भी तथ्य जानबूझ कर छिपाया नही गया है अथवा मिथ्या उल्लिखित नहीं किया गया है।

दिनांक .... साझीदार/स्वामी/कर्ता का नाम एवं

स्थान .... हस्ताक्षर...

प्रास्थिति...

व्यवहारी का नाम...................................

संलग्नक :–

(एक) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन प्रदान किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र (फार्म–15)
(दो) प्रपत्र यू0पी0 वैट–सात एवं सातजी एवं प्रपत्र–आठ वॉछित अनुलग्नकों सहित पूर्णतः भरे हुये हैं

टिप्पणी : इस प्रार्थना पत्र पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 32 के उपनियम (6) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।